भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1029

उत्तर देने की तारीख 02 दिसंबर, 2024

11 अग्रहायण, 1946 (शक)

टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

1029. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्ष- वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उभरते हुए जूनियर एथलीटों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभागियों को टॉप्स के माध्यम से उचित सहायता मिलना सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) टॉप्स के वित्तपोषण को बढ़ाने और भारत के ओलंपिक प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु निजी क्षेत्र की सहायता जुटाने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)
1	2017-18	10.00	4.82
2	2018-19	10.00	8.91
3	2019-20	8.50	9.66
4	2020-21	5.51	9.11
5	2021-22	28.08	28.47
6	2022-23	26.16	27.72
7	2023-24	20.16	16.68
8	2024-25	20.78	14.50

(ख) टीओपीएस कार्यक्रम के अंतर्गत एथलीटों को टीओपीएस विकास या टीओपीएस कोर स्कीम में वर्गीकृत किया जाता है। टीओपीएस विकास एथलीटों को हर महीने 25,000 रु. आउट ऑफ पॉकेट भत्ता (ओपीए) दिया जाता है जबकि टीओपीएस कोर एथलीटों को हर महीने 50,000 रु. मिलते हैं। इसके अलावा, टीओपीएस कार्यक्रम में विशेषज्ञ पेशेवरों द्वारा एथलीटों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिता एक्सपोज़र, उपकरण और कोचिंग सहायता, चिकित्सा देखभाल, चोट प्रबंधन और पुनर्वास के लिए सहायता मिलती है। साथ ही, जूनियर एथलीटों सहित सभी एथलीट विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत सरकार नियमित रूप से कॉर्पोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संपर्क कर उनसे अंशदान करने का अनुरोध करती रही है। कई कॉर्पोरेट संगठन प्रतिभा पहचान, प्रतिभा विकास, खेल उत्कृष्टता, शिक्षाविदों को सहायता और टीओपीएस एनएसडीएफ के तहत प्रतिभाशाली एथलीटों को छात्रवृत्ति के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी); रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी); कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल); इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल); इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल); जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी); भारत डायनेमिक लिमिटेड (बीडीएल), आदि ऐसे कुछ प्रमुख संगठन हैं।

एनएसडीएफ दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से अंशदान लेने का प्रावधान हैं, जिनमें सांविधिक निकाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कॉर्पोरेट क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक दोनों), न्यास, सोसायटी और निजी व्यक्ति शामिल हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में खेलों के शामिल किए जाने से खेल-संबंधी गतिविधियों पर सीएसआर व्यय के लिए विधिक आधार मिलता है।

आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अंतर्गत एनएसडीएफ में अंशदान करने पर कर में 100% छूट मिलती है, जो कंपनियों और व्यक्तियों को खेलों के विकास में अंशदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

****